उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन अनुभाग–4 संख्या 1996/30–4–09–8 (19)/09

लखनऊ : दिनॉक : 28 अक्टूबर, 2009

<u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्ग के मोटरयानों के सम्बन्ध में उनके सम्मूख स्तम्भ (3) और स्तम्भ (4) में यथाविनिर्दिष्ट कर की दर नियत करते हैं:—

सारणी धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन यानों पर कर की दर

क0	यान का विवरण	एक बार देय कर	पुराने यानों पर
सं0		की दर (रुपये में)	वार्षिक कर की
			दर (रुपये मे)
1	2	3	4
1.	मोटर साइकिल	यान के मूल्य का	200
		5%	
2.	यान जिसका लदान रहित वजन 1000 किलोग्राम से	यान के मूल्य का	1000
	अनधिक हो	5%	
3.	यान जिसका लदान रहित वजन 1000 किलोग्राम से	यान के मूल्य का	2000
	अधिक, किन्तु 5000 किलोग्राम से अनधिक हो	6%	
4.	यान जिसका लदान रहित वजन 5000 किलोग्राम से	यान के मूल्य का	4000
	अधिक हो	7%	
5.	यानों द्वारा खीचे जाने वाले ट्रेलर	ट्रेलर के मूल्य का	200
		1%	

परन्तु यह कि विद्युत बैटरी अथवा सोलर पावर से चलित वाहनों पर कर से छूट होगी और एथनाल मिश्रित ईंधन से चलित वाहनों पर कर में छूट ईंधन में एथनाल के मिश्रित प्रतिशत के बराबर होगी।

परन्तु यह और कि पहले से पंजीकृत यानों पर एक बार देय कर की गणना पुरानी अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए ऐसे यान पर प्रभावी एक बार देय कर की धनराशि में पॉच प्रतिशत की छूट के अनुसार की जायेगी, परन्तु यह छूट पचहत्तर प्रतिशत से अधिक की नहीं होगी। इस प्रयोजन हेतु वर्ष की गणना यान के प्रारम्भिक पंजीयन की तिथि से की जायेगी तथा एक वर्ष से कम की अवधि को छोड़ दिया जायेगा।

आज्ञा से,

संख्या-1996(1) / 30-4-2009-तद्दिनांक.-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— परिवहन आयुक्त, उ०प्र० / अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उ०प्र० लखनऊ।
- 2— प्रिसाइंडिंग जज, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उ०प्र०, केसरबाग, लखनऊ।

आज्ञा से,

(कुलदीप एन0 अवस्थी) उप सचिव।

संख्या-1996(2) / 30-4-2009-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित सयुक्त निदेशक मुद्रण एव लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, ऐसबाग, लखनऊ, को दिनाक 28 अक्टूबर, 2009 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग—4 खण्ड (क) में प्रकाशन हेतु प्रेषित। कृपया अधिसूचना की प्रकाशित 500 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग—4 उत्तर प्रदेश सचिवालय, बापू भवन, कक्ष सख्या—320 को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

Uttar Pradesh Shasan Parivahan Anubhag-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.-1996/30-4-09-8(19)/09, dated October 28, 2009 for general information.

NOTIFICATION

No.-1996/30-4-09-8(19)/09 Lucknow:Dated: 28 October, 2009

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 4 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (Act no. 21 of 1997), the Governor is pleased to fix the rate of tax specified in column (3) and column (4) of the table below in respect of class of motor vehicles specified in the corresponding entry in column (2) thereof:-

TABLE

Rate of tax on vehicles under sub-section (1) of Section 4

SI. No.	Description of Vehicles	Rate of one time tax (in rupees)	Rate of annual tax on old vehicle (in
1	2	3	4
1	Motor cycle	5% of the cost of vehilce	200
2	Vehicle with unladen weight not exceeding 1,000 Kilograms:	5% of the cost of vehilce	1000
3	Vehicle with unladen weight exceeding 1,000 Kilograms but not exceeding 5,000 kilograms		2000
4	Vehicle with unladen weight exceeding 5,000 Kilograms.	7% of the cost of vehilce	4000
5	Trailer drawn by vehicles	1% of the cost of trailer	200

Provided that motor vehicles driven by electric battery or solar power shall be exempted from the payment of tax and the exemption in tax for vehicles driven by Ethanol mixed fuel shall be equal to the percentage of Ethanol in the mixture.

Provided further that one time tax on vehicles already registered shall be calculated by giving exemption of five percent in amount of prevailing one time tax for each year of earlier period on such vehicles, but this exemption shall not exceed seventy five percent of the amount. For this purpose, the period of one year shall be computed from the date of initial registration of the vehicle and the period less than one year shall be ignored.

By order,

(PANKAJ AGRAWALA)
Pramukh Sachiv

उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन अनुभाग-4

संख्या 1997 / 30-4-09-8(19)/०9

लखनऊ : दिनाक : 28 अक्टूबर,2009

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या 21 सन् 1997) की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी। सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्ग के मोटरयानों के सम्बन्ध में उनके सम्मुख स्तम्भ (3) और स्तम्भ (4) में यथाविनिर्दिष्ट कर की दर नियत करते हैं:—

सारणी धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन परिवहन यानों पर कर की दर

क्र0	यान का विवरण	त्रैमासिक कर	
सं0		की दर (रूपये में)	की दर (रूपये में)
		,	
1	2	3	4
1	मोटर कैब (तिपहिया मोटरकैब को छोड़कर) और मैक्सी कैब, के प्रत्येक	550	2000
	सीट के लिए		
2	क्रम संख्या 1 के सम्मुख स्तम्भ(2) में यथाविनिर्दिष्ट मोटरयानों को	50	200
	छोडकर, राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन सार्वजनिक		
	सेवायान, की प्रत्येक सीट के लिए		
3	माल यान जिनका सकलयान भार 3000 किलोग्राम से अधिक है, के	230	850
	सकल यान भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिए		
4	कृषि प्रयोजन से भिन्न व्यवसायिक प्रयोजन में प्रयुक्त ट्रैक्टर, के लदान	500	1800
	रहित भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिए		
5	सन्निर्माण उपस्कर यान या विशेष प्रकार के या विशेष उद्देश्य से	500	1800
	निर्मित यान, जो व्यवसायिक उद्देश्य से पंजीकृत हों अथवा उपयोग में		
	लाये जायें, के लदान रहित भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग		
	के लिए		
6	मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन भारत के किसी अन्य राज्य में या	130	500
	किसी अन्य देश में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसे माल		
	यानों को, जिसके साथ सड़क परिवहन के मामले में पारस्परिक		
	व्यवस्थायें की गयी हों और जो अपने परिमटों के प्रतिहस्ताक्षर के अधीन		
	उत्तर प्रदेश में चलाने के लिए प्राधिकृत हो, के सकलयान भार के		
	प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिए		
7	ड्राइविंग स्कूल के स्वामित्व वाले मोटरयान जो चालकों के प्रशिक्षण देने	500	1800
	में अन्य रूप से प्रयुक्त होते हैं, के लदान रहित भार के प्रत्येक मीट्रिक		
	टन या उसके भाग के लिए		

परन्तु यह कि कृषि उपज और पेट्रोलियम माल का अनन्य रूप्से परिवहन करने वाले माल वाहनों के सम्बन्ध में कर की दर सारणी के क्रम संख्या 3 के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मोटरयानों के सम्मुख स्तम्भ (3) और स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट दर की, दो तिहाई होगी।

परन्तु यह और कि सारणी के क्रम संख्या 1, क्रम संख्या 2 और क्रम संख्या 7 के सम्मुख स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मोटरयान जो वातानुकूलित हों, के लिए प्रति सीट कर की दर उनके सम्मुख स्तम्भ (3) और स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक होगी।

परन्तु यह भी कि सारणी के क्रम संख्या 1 के सम्मुख स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट यान जो शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों को या फैक्ट्री के कर्मचारियों को संस्था तक ले जाने और ले आने में अनन्य, रूप से प्रयुक्त होते है, पर कर की दर उनके सम्मुख स्तम्भ (3) और स्तम्भ (4) में यथाविनिर्दिष्ट दर की आधी होगी।

स्पष्टीकरण

- 1. इस सारणी के क्रम संख्या 3 के प्रयोजन के लिए, खडे रहने की स्वीकृत क्षमता यदि कोई हो, का पचास प्रतिशत अतिरिक्त बैठने की क्षमता के रूप में गिना जायेगा तथा जहाँ कोई मोटरयान स्लीपिंग बर्थ से सज्जित हो, वहाँ प्रत्येक स्लीपिंग बर्थ को दो यात्री सीट के बराबर समझा जायेगा।
- 2. सारणी के क्रम संख्या 5 के सम्मुख स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट "विशेष प्रकार के या विशेष उद्देश्य से निर्मित यान" का तात्पर्य मोबाइल वर्कशाप, मोबाइल कैन्टीन, कैम्पर वैन या ट्रेलर, कैश वैन, फायर टेन्डर्स, स्नोर्क्ड लैंडर, आक्जिलरी ट्रेलर व फायर फायटिंग यान, फोर्क लिफ्ट, रिग, जनरेटर व कम्प्रेसर जैसे उपस्करों से युक्त यान या ट्रेलर, क्रेनयुक्त यान, टो ट्रक, ब्रेक डाउन वैन, रिकवरी यान, टावर वैगन, ट्री ट्रिमिंग यान, प्रचार यान इत्यादि से है।
- 3. इस सारणी के क्रम संख्या 1 और क्रम संख्या 2 के प्रयोजन के लिए सीट की गणना में ड्राइवर की सीट की सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,

संख्या-1997(1) / 30-4-2009-तद्दिनांक.-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— परिवहन आयुक्त, उ०प्र०/अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उ०प्र० लखनऊ।
- 2— प्रिसाइडिंग जज, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उ०प्र०, केसरबाग, लखनऊ।

आज्ञा से,

(कुलदीप एन0 अवस्थी) उप सचिव।

संख्या-1997(2) / 30-4-2009-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सिहत सयुक्त निदेशक मुद्रण एव लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, ऐसबाग, लखनऊ, को दिनाक 28 अक्टूबर, 2009 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग—4 खण्ड (क) में प्रकाशन हेतु प्रेषित। कृपया अधिसूचना की प्रकाशित 500 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग—4 उत्तर प्रदेश सिचवालय, बापू भवन, कक्ष सख्या—320 को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

Uttar Pradesh Shasan Parivahan Anubhag-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased .to order the publication of the following English translation of notification no.-1997/30-4-09-8(19)/09, dated October 28, 2009 for general information.

NOTIFICATION

No.-1997/30-4-09-8(19)/09

Lucknow: Dated: 28 October, 2009

In exercise of the powers under sub-section (2) of section 4 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (Act no. 21 of 1997), the Governor is pleased to fix the rate of tax specified in column (3) and column (4) of the table below in respect of class of motor vehicles specified in the corresponding entry in column (2) thereof:-

TABLE

Rate of tax on transport vehicles under sub-section (2) of Section 4

SI. No.	Description of Vehicles	Rate of tax per Quarter. (in rupees)	annual tax	
1	2	3	4	
1	Motor cab (excluding three wheeler motor cab) and maxi cab, for every seat	550	2000	
2	Public service vehicles owned and controlled by state transport undertaking, other than motor vehicles as specified in column (2) against serial no. I, for every seat.	50	200	
3	Goods carriage with gross vehicle weight more than 3,000 kilograms, for every metric ton of the gross vehicle weight of the vehicle or part thereof.	230	850	
4	Tractor used for commercial purposes, other than agricultural purposes, for every metric ton of the unladen weight of the vehicle or part thereof	500	1800	
5	Construction equipment vehicle or vehicle nanufactured in special design or for special purpose nd registered or used for commercial purpose, for very metric ton of the unladen weight of the vehicle or art thereof.		1800	

6.	Goods vehicles, registered under the Motor Vehicles Act, 1988 in any other State of India or under a law in force for the time being in any other country, with which reciprocal arrangements in the matter of road transport have been made and which are authorised to ply in Uttar Pradesh under counter signature of their permits, for every metric ton of the gross vehicle weight of the vehicle or part thereof.	130	500
7	Motor vehicles owned by Driving schools and exclusively used to impart instruction to drivers, for every metric ton of the unladen weight of the vehicle or -partthereof	500	1800

Provided that the rate of tax in respect of goods carriage carrying exclusively agricultural produce and petroleum goods shall be two-third of the rates as specified:in column (3) and column (4) for motor vehicle as specified in column(2) against serial no.3 of the table.

Provided further that the rate of tax per seat In respect of air conditioned vehicles shall be twenty five percent more than the rate as specified in column (3) and column (4) for motor vehicles specified in column (2) against serial no 1, serial no 2 and serial no 7 of the table.

Also, provided that rate of tax on motor vehicles, which is exclusively used for the conveyance of pupils of educational institution and employees of factory to and from the institution shall be half of the rate as specified in column (3) and column (4) for motor vehicles specified in column (2) against serial no 1

Explanations-

- 1 For the purpose of this table, fifty percent of the sanctioned standing capacity, if any, shall be reckoned as additional seating capacity and where a motor vehicle is equipped with sleeping berths, each sleeping berth shall be regarded as the equivalent to two passenger seats.
- 2 "Vehicle constructed in special design or for special purpose" specified in column no. (2) against serial no. 5 of the table means mobile workshop, mobile canteen, camper vans or trailers, cash vans, fire tenders, snorked ladders, auxiliary trailers and fire fighting vehicles, fork lift, vehicles or trailers fitted with equipments like rig, generator, compressor, crane mounted vehicle, tow trucks, breakdown van, recovery vehicles, tower wagons and tree trimming vehicles, publicity van etc.
- 3 For the purpose of serial no1 and serial no 2 of this table seat will not include the drivers'seat.

By order,

(PANKAJ AGRAWALA)
Pramukh Sachiv

उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन अनुभाग–4

संख्या 1998/30-04-09-8(19)/09 लखनऊः दिनॉक : 28 अक्टूबर,2009

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) की धारा 4 की उपधारा (2—क) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्ग के मोटरयानों के सम्बन्ध में उनके सम्मुख स्तम्भ (3), स्तम्भ (4) और स्तम्भ (5) में यथाविनिर्दिष्ट कर की दर नियत करते हैं:—

सारणी धारा 4 की उपधारा (2—क) के अधीन सार्वजनिक सेवा यानों पर कर की दर

क्र0 सं0	यान का विवरण		प्रति सीट कर की दर (रूपये में)		
		- <i>7</i> मसिक	त्रेमासिक	वर्षिक	
1	2	3	4	5	
1	मैक्सी कैब से भिन्न ओमनी बस,				
	(क) जिनकी आयु पॉच वर्ष से अनधिक हो	110	330	1200	
	(ख) जिनकी आयु पॉच वर्ष से अधिक किन्तु दस वर्ष से अनधिक हो	115	345	1250	
	(च) जिनकी आयुँ दस वर्ष से अधिक हो				
		120	360	1300	
2	मंजिली गाडियाँ, जो नगर निगम या नगर पालिका की सीमा के भीतर अनन्य रूप से संचालित हों	20	50	200	
3	मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन भारत के किसी अन्य राज्य में या किसी अन्य देश में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसी मंजिली गाडियों को, जिसके साथ सड़क परिवहन के मामले में पारस्परिक व्यवस्थायें की गयी हों और जो अपने परिमटों के प्रतिहस्ताक्षर के अधीन उत्तर प्रदेश में चलाने के लिए प्राधिकृत हो, के सम्बन्ध में प्रत्येक सीट के लिए				
		170	500	1800	
4	मोटरयान, जो एक ऐसे मार्ग पर चलते हैं, जिसके उत्तर प्रदेश राज्य से भिन्न भारत के राज्य में उसके प्रारम्भिक बिन्दु और अन्तिम बिन्दु दोनों स्थित हों, किन्तु ऐसे मार्ग का कुछ भाग उत्तर प्रदेश राज्य में पडता हो और ऐसे भाग की लम्बाई 16 किलोमीटर से अधिक नहीं हो, के प्रत्येक सीट के लिए	85	255	900	

परन्तु यह कि:--

(1) झॉसी सम्भाग और चित्रकूट सम्भाग के प्रादेशिक क्षेत्र में संचालित होने वाली मंजिली गाड़ियों के सम्बन्ध में कर की दर सारणी के क्रम संख्या 1 के सम्मुख स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मोटरयानों पर स्तम्भ (3), स्तम्भ (4) और स्तम्भ (5) में यथाविनिर्दिष्ट दर का पचहत्तर प्रतिशत होगी।

- (2) शैक्षणिक संस्थाओं और फैक्ट्रियों के स्वामित्व वाले मोटरयान से भिन्न मोटरयान, जो शैक्षणिक संस्था के विद्यार्थियों को या फैक्ट्री के कर्मचारियों को संस्था तक ले जाने और ले आने के लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त होते है, के सम्बन्ध में कर की दर सारणी के क्रम संख्या 1 के सम्मुख स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मोटरयानों पर स्तम्भ (3), स्तम्भ (4) और स्तम्भ (5) में यथाविनिर्दिष्ट दर का पचास प्रतिशत होगी।
- (3) वातानुकूलित यानों पर प्रति सीट कर की दर सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मोटरयानों के लिए स्तम्भ (3), स्तम्भ (4), और स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक होगी।
- (4) शोकाकुल व्यक्तियों सिहत मृत शरीरों को ले जाने तथा वापसी यात्रा के लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त होने वाले सार्वजनिक सेवा यानों के सम्बन्ध में प्रति सीट कर की दर सारणी के क्रम संख्या 1 के सम्मुख स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मोटरयानों पर स्तम्भ (3), स्तम्भ (4), और स्तम्भ (5) में यथा विनिर्दिष्ट रूप से लागू होगी।

स्पष्टीकरण

- जहाँ पर किसी मोटरयान का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिये या ऐसी रीति से किया जाता है जिससे कि वह एक से अधिक श्रेणी के लिये कर योग्य हो जाय, वहाँ देय कर सबसे ऊँची समुचित दर पर होगी।
- 2. इस सारणी में उल्लिखित ''नगर निगम'' और ''नगर पालिका'' का क्रमशः वही तात्पर्य होगा जो उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 में उनके लिये दिया गया है।
- 3. इस सारणी के प्रयोजन के लिए-
 - (क) खडे रहने की स्वीकृत क्षमता यदि कोई हो, का पचास प्रतिशत अतिरिक्त बैठने की क्षमता के रूप में गिना जायेगा तथा जहाँ कोई मोटरयान स्लीपिंग बर्थ से सज्जित हो , वहाँ प्रत्येक स्लीपिंग बर्थ को दो यात्री सीट के बराबर समझा जायेगा।
 - (ख) सीट की गणना में ड्राइवर की सीट को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
 - (ग) मोटरयान की आयु की गणना यान के प्रथम पंजीयन की तिथि से की जायेगी।

आज्ञा से,

संख्या-1998(1)/30-4-2009-तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- परिवहन आयुक्त, उ०प्र० / अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- प्रिसाइडिंग जज, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिव्यूनल, उ०प्र०, केसरबाग, लखनऊ।

आज्ञा से,

(कुलदीप एन0 अवस्थी) उप सचिव।

संख्या-1998(2) / 30-4-2009-तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित संयुक्त निदेशक मुद्रण एव लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, ऐसबाग, लखनऊ, को दिनाक 28 अक्टूबर, 2009 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग—4 खण्ड (क) में प्रकाशन हेतु प्रेषित। कृपया अधिसूचना की प्रकाशित 500 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग—4 उत्तर प्रदेश सचिवालय, बापू भवन, कक्ष संख्या—320 को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

Uttar Pradesh Shasan

Parivahan Anubhag-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.-1998/30-4-09-8(19)/09, dated October 28, 2009 for general information.

NOTIFICATION

No.-1998/30-4-09-8(19)/09 Lucknow:Dated: 28 October, 2009

In exercise of the powers under sub-section (2-A) of section 4 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (Act no. 21 of 1997), the Governor is pleased to fix the rate of tax specified in column (3) and column (4) and column (5) of the table below in respect of class of motor vehicles specified in the corresponding entry in column (2) thereof:-

TABLE Rate of tax on public service vehicles under sub-section (2-A) of Section 4

Sl.	Description of Volcieles	Rate of tax per seat. (in rupee Monthly Quarterly Year		n rupees)
No.	Description of Vehicles			Yearly
1	2	3	4	5
	Omni bus other than maxi cab (a) age not more than five years old.	110	330	1200
1	(b) age more than five years but not more than ten years old.	115	345	1250
	(c) age more than ten years old.	120	360	1300
2	Omni bus other than maxi cab, operating exclusively within the limits of municipal corporation or municipality.	20	50	200
3	Stage carriages registered under the Motor Vehicles Act, 1988 in any other State of India or under a law_in force for the time being in any other country, with which reciprocal arrangements in the matter of road transport have been made and which are authorized to ply in Uttar Pradesh under counter signature of their permits, for every seat.	170	500	1800
4	Motor vehicles which ply on a route, which have both its starting point and the terminal point in a State of India other than the State of Uttar Pradesh, but part of which route lies in the State of Uttar Pradesh and the length of Such part does not exceed sixteen kilometers, for every seat	85	255	900

Provided that:-

(1) The rate of tax per seat in respect of stage carriages operating in the territorial area of Jhansi region and Chitrakoot region shall be seventy five percent of the rate as specified in column (3), column (4) and column (5) for motor vehicles as specified in column (2) against serial no. 1 of the table.

- (2) The rate of tax per seat on motor vehicles other than those owned by educational institutions and factories and used exclusively for the conveyance of pupils of educational institutions or employees of factories, to and from the institution, shall be fifty percent of the rates as specified in column (3), column (4) and column (5) for motor vehicles as specified in column (2) against serial no. 1 of the table.
- (3) The rate of tax per seat in respect of air conditioned vehicles shall be twenty five percent more than the rate specified in column (3), column (4) and column (5) for motor vehicles as specified in column (2) of the table.
- (4) The rate of tax per seat in respect of public service vehicles exclusively used for carrying dead bodies alongwith mourners and for return journey shall be applicable as specified in column (3), column (4) and column (5) for motor vehicles as specified in column (2) against serial no: lof the table.

Explanations-

- Where any motor vehicle is used for various purposes or in such a manner as to cause to be taxable under more than one category in this table, the tax payable shall be at the highest appropriate rate.
- In this table, the expressions "Municipal Corporation" and "Municipality" shall have the meaning respectively assigned to them in the Uttar Pradesh Municipal Corporation's Act, 1959 and Uttar Pradesh Municipality Act, 1916.
- 3 For the purpose of this table-
 - (a) fifty percent of the sanctioned standing capacity, if any, shall be reckoned as additional seating capacity and where a motor vehicle is equipped with sleeping berths, each sleeping berth shall be regarded as the equivalent to two passenger seats.
 - (b) seat will not include the drivers' seat.
 - (c) the age of the motor vehicle shall be computed from the date of initial registration of the motor vehicle.

By order,

(PANKAJ AGRAWALA)
Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन अनुभाग–4

संख्या 1999/30-4-09-8 (19)/09 लखनऊ: दिनॉक : 28 अक्टूबर, 2009

<u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन 1997) की धारा 12 की उपधारा (3) और उपधारा (5) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मोटरयानों पर उनके सम्मुख स्तम्भ (3) में यथाविनिर्दिष्ट कर की दर नियत करते हैं—

सारणी धारा 12 की उपधारा (3) और उपधारा (5) के अधीन एक बार देय कर की वापसी की दर

क्र0सं0	यान का विवरण	कर वापसी की दर (रूपये में)
1	2	3
1	मोटरयान जिसके सम्बन्ध में एक बार देय कर का भुगतान	प्रत्येक मास के अनुपयोग के लिये
	किया गया हो और मोटरयान की धारा 12 की उपधारा (3) के	वापसी की धनराशि जमा धनराशि
	अन्तर्गत विहित एक मास या इससे अधिक की लगातार अवधि	का 1/180 वाँ भाग होगा।
	में उपयोग न किया गया हो	
2	परिवहन यान से भिन्न मोटर यान जिसके सम्बन्ध में एक बार	जमा कर की धनराशि में से यान
	देय कर का भुगतान किया गया हो और धारा 12 की उपधारा	के उत्तर प्रदेश में गैर परिवहन
	(5) के अन्तर्गत विहित ऐसे मोटरयान के सम्बन्ध में किसी अन्य	यान के रूप में प्रयोग अवधि के
	राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में कर का भुगतान कर दिया गया हो,	प्रत्येक वर्ष के लिए पाँच प्रतिशत
	या उसे परिवहन यान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया हो,	कटौती के पश्चात शेष धनराशि
	या उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया हो।	वापस की जायेगी, किन्तु वापसी
		की अधिकतम सीमा पचहत्तर
		प्रतिशत होगी।

स्पष्टीकरण

इस हेतु वर्ष की गणना उत्तर प्रदेश में पंजीयन की तिथि से की जायेगी तथा गणना में एक वर्ष से कम की अवधि को छोड़ दिया जायेगा।

आज्ञा से,

संख्या-1999(1) / 30-4-2009-तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— परिवहन आयुक्त, उ०प्र० / अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- प्रिसाइडिंग जज, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिव्यूनल, उ०प्र०, केसरबाग, लखनऊ।

आज्ञा से,

(कुलदीप एन0 अवस्थी) उप सचिव।

संख्या-1999(2) / 30-4-2009-तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सिहत संयुक्त निर्देशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, ऐसबाग, लखनऊ, को दिनाक 28 अक्टूबर, 2009 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग—4 खण्ड (क) में प्रकाशन हेतु प्रेषित। कृपया अधिसूचना की प्रकाशित 500 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग—4 उत्तर प्रदेश सिचवालय बापू भवन, कक्ष संख्या—320 को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

Uttar Pradesh Shasan Parivahan Anubhag – 4

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no 1999 /30-4-09-8(19)/09, dated October 28, 2009 for general information.

NOTIFICATION

No 1999/30-4-09-8(19)/09 Lucknow :Dated :28 October, 2009

In exercise of the powers under sub-section (3) and sub-section (5) of section 12 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (Act no.21 of 1997) the Governor is pleased to fix the rate of tax specified in column (3), of the table below in respect of motor vehicles specified in the corresponding entry in column (2), therefore:

TABLE

Rate of refund of one time tax under sub-section (3) and sub-section (5) of section 12.

SI.	Description of vehicles	Rate of refund of tax (in rupees)
No.		
1	2	3
	Motor vehicle in respect whereof one time tax has been	Amount of refund for non-use of
1-	paid and such motor vehicle has not been used for a	each month shall be 1/180 th part of
1-	continuous period of one month or more, as specified	the amount
	under sub-section (3) of section 12 of the Act.	
	Motor vehicle other than a transport vehicle in respect	Refund of such a tax shall be made
	whereof one time tax has been paid and after payment	after deducting five percent of the
	of such tax , tax in respect of such vehicle has been paid	tax paid for each year of use of the
2-	in any other state or that motor vehicle has been	vehicles for a continuous period of
2-	converted into a transport vehicle or that the	one year as a non transport vehicle
	registration of such motor vehicle has been cancelled,	, but the maximum limit of limit of
	as specified under sub-section (5) of section 12 of the	refund shall be seventy five percent
	Act.	of the tax paid.

Explanation –

For the purpose of this table, the period of a year shall be computed from the date of registration in Uttar Pradesh and the period less than a year shall be ignored.

By order,

(PANKAJ AGRAWALA)
Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन अनुभाग–4

संख्या 2000 / 30-4-09-8 (19) / 09 लखनऊ: दिनॉक : 28 अक्टूबर, 2009

<u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) की धारा 4—क के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट मोटरयानों पर उनके सम्मुख स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट कर की दर नियत करते हैं:—

सारणी धारा 4—क के अधीन सार्वजनिक सेवा यान पर ''विशेष कर'' की दर

यान का विवरण	प्रति दिन कर की दर
	(रूपये में)
1	2
विशेष अवसरों पर जैसे मेलों और धार्मिक सभाओं में यात्रियों को वहाँ ले जाने	
और वहाँ से लाने और बारात, पर्यटक यात्रियों या ऐसी अन्य आरक्षित पार्टियों की	
सवारी के लिए जारी किये गये अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आने वाले मंजिली	05
गाड़ियों पर, ड्राइवर को छोड़कर प्रत्येक सीट के लिए—	

परन्तु यह कि विशेष कर की गणना के लिए उतने दिनों की गणना नहीं की जायेगी जितने दिनों तक अस्थायी परिमट के अन्तर्गत आने वाली मंजिली गाडियाँ उत्तर प्रदेश के बाहर संचालित की गयी हों।

परन्तु यह और कि ऐसे किसी मोटर यान के संबंध में किसी माह की अवधि में भुगतान किये गये विशेष कर की धनराशि को उस माह में धारा 4 की उपधारा (2—क) के अधीन उस यान के प्रति जमा कर की धनराशि में समायोजित किया जायेगा।

आज्ञा से,

संख्या-2000(1) / 30-4-2009-तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— परिवहन आयुक्त, उ०प्र० / अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- प्रिसाइडिंग जज, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिव्यूनल, उ०प्र०, केसरबाग, लखनऊ।

आज्ञा से,

(कुलदीप एन0 अवस्थी) उप सचिव।

संख्या-2000(2) / 30-4-2009-तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सिहत संयुक्त निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, ऐसबाग, लखनऊ, को दिनाक 28 अक्टूबर, 2009 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग—4 खण्ड (क) में प्रकाशन हेतु प्रेषित। कृपया अधिसूचना की प्रकाशित 500 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग—4 उत्तर प्रदेश सिचवालय, बापू भवन, कक्ष संख्या—320 को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

Uttar Pradesh Shasan Parivahan Anubhag -4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no 2000 /30-4-09-8(19)/09, dated October 28,2009 for general information.

NOTIFICATION

No.2000/30-4-09-8(19)/09 Lucknow: Dated: 28. October, 2009

In exercise of the powers under section 4-A of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (Act no. 21 of 1997), the Governor is pleased to fix the rate of tax specified in column (2) of the table below in respect of motor vehicles specified in the corresponding entry in column (1) thereof:-

TABLE

Rate of special tax on public service vehicles under Section 4-A

Description of Vehicles.	Rate of Tax per day (in rupees)
1	2
Stage carriages covered by temporary permit issued for the conveyance of passengers on special occasions such as to and from fairs and religious gatherings and for marriages parties, tourist parties or such other reserved parties, for	
every seat excluding the driver.	05

Provided that for calculation of special tax, the number of days a stage carriage covered by the temporary permit is operated out of Uttar Pradesh shall not be taken into account.

Provided further that the amount paid as special tax in respect of any such motor vehicle in any month shall be adjusted against the amount of tax paid on such vehicle for that month under sub-section- (2-A) of section 4.

By order,

(PANKAJ AGRAWALA)
Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन अनुभाग–4

संख्या 2001/30-4-09-8 (19)/09 लखनऊः दिनॉक : 28 अक्टूबर, 2009

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन 1997) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मोटरयानों पर उनके सम्मुख स्तम्भ (3), स्तम्भ (4) और स्तम्भ (5) में यथाविनिर्दिष्ट कर की दर नियत करते हैं—

सारणी धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन राज्य परिवहन उपक्रम की सार्वजनिक सेवा यानों पर अतिरिक्त कर की दर

क्र0 सं0	यान का विवरण	प्रति सीट कर की दर (रूपये में)		(रूपये
		मसिक	त्रेमासिक	वार्षिक
1	2	3	4	5
1.	उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन उपक्रम के स्वमित्व वाली मंजली			
	गाडियाँ			
	(क) जिनकी आयु दो वर्ष से अनधिक	600	1800	6500
	(ख) जिनकी आयु दो वर्ष से अधिक किन्तु चार वर्ष से अनधिक	500	1500	5400
	(ग) जिनकी आयु चार वर्ष से अधिक किन्तु छः वर्ष से अनधिक	400	1200	4800
	(घ) जिनकी आयु छः वर्ष से अधिक	150	450	1600
2.	उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन उपक्रम के नियंत्रणधीन या अनुबंधन के अधीन संचालित मंजिली गाड़ियाँ—	450	1350	5000
3.	मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन भारत के किसी अन्य			
	राज्य या संघ क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत और राज्य परिवहन उपक्रम			
	के स्वामित्व वाली ऐसी मंजिली गाडियों को, जिसके साथ			
	सड़क परिवहन के मामले में पारस्परिक व्यवस्थायें की गयी हों	400	1200	4300
	और जो अपने परमिटों के प्रतिहस्तक्षर के अधीन उत्तर प्रदेश में	100	1200	1000
	चलाने के लिए प्राधिकृत हो, के सम्बन्ध में प्रत्येक सीट के लिए			

परन्तु यह कि सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मोटरयान जो वातानुकूलित हों, के लिए प्रति सीट कर की दर उनके सम्मुख स्तम्भ (3), स्तम्भ (4) और स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक होगी।

स्पष्टीकरण-

- 1. नगर निगम या नगर पालिका की सीमा के भीतर संचालित यान पर अतिरिक्त कर की छूट होगी। "नगर निगम" और "नगर पालिका" का क्रमशः वही तात्पर्य होगा जो उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 में उनके लिये दिया गया है।
- 2. इस सारणी के प्रयोजन के लिए-
 - (क) खडे रहने की स्वीकृत क्षमता यदि कोई हो, का पचास प्रतिशत अतिरिक्त बैठने की क्षमता के रुप में गिना जायेगा तथा जहाँ कोई मोटरयान स्लीपिंग बर्थ से सज्जित हो, वहाँ प्रत्येक स्लीपिंग बर्थ को दो यात्री सीट के बराबर समझा जायेगा। ड्राइवर और कन्डक्टर की सीट को सीट की गण्ना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
 - (ख) मोटर यान की आयु की गणना यान के प्रथम पंजीयन की तिथि से की जायेगी।

आज्ञा से,

संख्या-2001(1)/30-4-2009-तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— परिवहन आयुक्त, उ०प्र० / अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- प्रिसाइडिंग जज, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिव्यूनल, उ०प्र०, केसरबाग, लखनऊ।

आज्ञा से,

(कुलदीप एन0 अवस्थी) उप सचिव।

संख्या-2001(2) / 30-4-2009-तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सिहत संयुक्त निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, ऐसबाग, लखनऊ, को दिनाक 28 अक्टूबर, 2009 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग—4 खण्ड (क) में प्रकाशन हेतु प्रेषित। कृपया अधिसूचना की प्रकाशित 500 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग—4 उत्तर प्रदेश सिचवालय, बापू भवन, कक्ष संख्या—320 को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

Uttar Pradesh Shasan Parivahan Anubhag-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. 2001/30-04-09-8(19)09, dated October 28, 2009 for general information.

NOTIFICATION

No.2001/30-4-09-8(19)/09

Lucknow: Dated:28 October,2009

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 6 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (Act no.21 of 1997) the Govenor is pleased to fix the rate of tax specified in column (3), column (4) and column (5) of the table below in respect of motor vehicles specified in the corresponding entry in column (2) thereof:-

TABLE

Rate of additional tax on public service vehicles of State Transport Undertaking under sub-section (1) of Section 6

CL Ma	Description of Valida	Rate of tax per seat. (in rupees)		
Sl. No.	Description of Vehicles	Monthly	Quarterly	Yearly
1	2	3	4	5
1.	Stage carriages, owned by Uttar Pradesh State Transport Undertaking, (a) age not more than two years old. (b) age more than two years but not more than four years old. (c) age more than four years but not more than six 'years old. (d) age more than six years	600 500 400 150	1800 1500 1200 450	6500 5400 4800 1600
2.	Stage carriages operating under control or under contract with Uttar Pradesh State Transport Undertaking.	450	1350	5000
3.	Stage carriages owned by State Transport Undertking and registered under the Motor Vehicles Act, 1988 in any other State of India or Union Territory with which reciprocal arrangements in the matter of road transport have been made and which are authorised to ply in Uttar Pradesh under counter signature of their permits, for every seat.	400	1200	4300

Provided that the rate of tax per seat in respect of air conditioned vehicles shall be twenty five percent more than the rate specified in column (3), column (4) and column (5) on motor vehicles as specified in column (2) of the table.

Explanations:-

- 1. Motor Vehicle of State Transport Undertaking operating within the limits of Municipal Corporation or Municipality shall be exempted from the payment of additional tax. "Municipal Corporation" and "Municipality" shall have the meaning respectively assigned to them in the Uttar Pradesh Municipal Corporation's Act, 1 959 and U ttar Pradesh Municipality Act, 1916.
- 2. For the purpose of this table-
 - (a) fifty percent of the sanctioned standing capacity, if any, shall be reckoned as additional seating capacity and where a motor vehicle is equipped with sleeping berth, each sleeping berth shall be regarded as the equivalent to two passenger seats. Seat will not include the driver's and conductor's seat.
 - (b) the age of the motor vehicle shall be computed from the date of initial registration of the motor vehicle.

By order,

(PANKAJ AGRAWALA)
Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन अनुभाग–4

संख्या 2002/30-4-09-8 (19)/09 लखनऊ: दिनांक : 28 अक्टूबर, 2009

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल ऐसे गैर परिवहन यान, जो परिवहन यान के रुप में जब भी चलते पाये जायें, के लिये चालक को छोड़कर 2200 रुपये प्रति सीट की दर से कर नियत करते है।

आज्ञा से,

संख्या-2002(1)/30-4-2009-तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— परिवहन आयुक्त, उ०प्र० / अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- प्रिसाइडिंग जज, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिव्यूनल, उ०प्र०, केसरबाग, लखनऊ।

आज्ञा से,

(कुलदीप एन0 अवस्थी) उप सचिव।

संख्या-2002(2) / 30-4-2009-तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सिहत संयुक्त निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, ऐसबाग, लखनऊ, को दिनाक 28 अक्टूबर, 2009 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग—4 खण्ड (क) में प्रकाशन हेतु प्रेषित। कृपया अधिसूचना की प्रकाशित 500 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग—4 उत्तर प्रदेश सिचवालय, बापू भवन, कक्ष संख्या—320 को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

Uttar Pradesh Shasan Parivahan Anubhag-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no.2002/30-4-09-8(19)/09, dated October 28, 2009 for general information.

NOTIFICATION

No: 2002/30-4-09-8(19)/09 Lucknow : Date: 28 October,2009

In exercise of the powers under sub-section (3) of section 4 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (Act no.21 of 1997) the Governor is pleased to fix the tax at the rate of rupees 2200 per seat excluding the driver for non-transport vehicles whenever found plying as a transport vehicle.

By order,

(PANKAJ AGRAWALA)
Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन अनुभाग-4

संख्या 2003/30-4-09-8 (19)/09 लखनऊ: दिनांक : 28 अक्टूबर, 2009

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन 1997) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख) और (ग) के साथ पिठत धारा 4 की उपधारा (2) और (2—क) के अधीन प्रदत्त शिक्त का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मोटरयानों पर उनके सम्मुख स्तम्भ (3) में यथाविनिर्दिष्ट कर की दर नियत करते हैं—

सारणी—1

<u>धारा 10 की उपधारा (1) खण्ड (क) और (ख) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन माल यान पर</u>
देय ''कर'' की दर

क्र0सं0	यान का विवरण	कर की दर (रूपये में)
1	2	3
1	मालयानों के संबंध में उत्तर प्रदेश में संचालन पर प्रति दिन के लिए—	
	(क) हल्का मालयान	50
	(ख) मध्यम मालयान	75
	(ग) भारी मालयान	100
2	उत्तर प्रदेश राज्य से भिन्न किसी अन्य राज्य द्वारा या किसी संघ राज्य क्षेत्र द्वारा	
	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन प्रदान की गयी	
	राष्ट्रीय परमिट के अधीन संचालित माल वाहनों पर प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के	
	लिए–	5000
3	स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मोटरयानों में से समस्त मल्टीएक्सल माल यानों जिसमें कम	
	से कम तीन एक्सिल के साथ कम से कम 10 टायर लगे हों और जिसका	
	अधिकतम सकलयान भार 25 टन से कम न हो, के सम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष या	
	उसके भाग के लिए-	3750

परन्तु यह कि उत्तर प्रदेश से भिन्न किसी अन्य राज्य अथवा संघ क्षेत्र में पंजीकृत माल यान जिसे मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 66 की उपधारा (3) के अन्तर्गत परिमट से छूट प्रदत्त न हो, उत्तर प्रदेश में बिना परिमट चलता हुआ पाया जाये तो ऐसे यान के संबंध में सारणी के क्रम सं० 2 के सम्मुख स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मोटरयानों पर स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर से छः गुने के बराबर कर की राशि देय होगा।

सारणी-2

धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ग) के साथ पिटत धारा 4 की उपधारा (2) और (2-क) के अधीन सार्वजनिक सेवा योनों पर देय "कर" की दर

क्र0सं0	यान का विवरण	कर की दर (रूपये में)
1	2	3
1	उत्तर प्रदेश राज्य से भिन्न अन्य राज्य के प्राधिकारी द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 87 के अधीन जारी अस्थायी परिमट तथा धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन जारी परिमट से आच्छादित सार्वजिनक सेवायान के संबंध में उत्तर प्रदेश में संचालन पर प्रति दिन प्रत्येक सीट के लिए—	
	(क) सामान्य (ख) वातानुकूलित	20 30

परन्तु यह कि भारत के किसी अन्य राज्य में रिजस्ट्रीकृत पर्यटक वाहन को जिनके सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–88 उपधारा (9) के अधीन परिमट प्रदान किये गये हों, उक्त कर के भुगतान से छूट होगी, बशर्ते उत्तर प्रदेश राज्य में रिजस्ट्रीकृत एवं राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी परिमट से आच्छादित पर्यटक वाहनों को भी कर, अतिरिक्त कर, स्पेशल कर, जिस नाम से भी जाना जाये, की देयता से ऐसे अन्य राज्य में छूट प्रदान की गयी हो और जिसके सम्बन्ध में उसी प्रकार के परिमट राज्यपरिवहन प्रधिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदान किये गर्य है।

परन्तु यह और कि उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संघटक राज्यों (हरियाणा, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) के प्राधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अनन्य रूप से संचालन हेत् स्वीकृत ठेका परमिट पर आच्छादित मोटरकैब से भिन्न ठेका वाहनों के लिए कर की दर नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (3) में यथाविर्निदिष्ट संचालित दुरी के लिए उनके सम्मुख स्तम्भ (4), स्तम्भ (5) और स्तम्भ (6) में विर्निदिष्ट दर पर देय होगी-

क्र0सं0	ठेका वाहन	उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतिदिन	प्रति सीट कर की दर (रूपये में)		
370 (10		संचालित दूरी	मासिक	त्रैमासिक	वार्षिक
1	2	3	4	5	6
1	साधारण / डीलक्स	(क) 0-20 कि.मी.	50	150	540
		(ख) 21—40 कि.मी.	70	210	755
		(ग) ४० कि.मी. से अधिक	135	400	1440
2	वातानुकूलित	(क) 0—20 कि.मी.	85	250	900
		(ख) 21–40 कि.मी.	100	300	1080
		(ग) ४० कि.मी. से अधिक	170	500	1800

परन्तु यह भी कि उत्तर प्रदेश से भिन्न किसी अन्य राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकृत सार्वजनिक सेवायान जिसे मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 66 की उपधारा (3) के अन्तर्गत परिमट से छूट प्रदत्त न हो, उत्तर प्रदेश में बिना परिमट चलता हुआ पाया जाये तो ऐसे यान पर नीचे दी गयी दर पर कर देय होगा :--

(क) सामान्य सार्वजनिक सेवायान के प्रत्येक सीट के लिए कर रू0 100.00 (ख) वातानुकूलित सार्वजनिक सेवायान के प्रत्येक सीट के लिए कर

₹50 150.00

आज्ञा से

संख्या-2003(1)/30-4-2009-तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— परिवहन आयुक्त, उ०प्र० / अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- प्रिसाइडिंग जज, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिव्यूनल, उ०प्र०, केसरबाग, लखनऊ।

आज्ञा से,

(कुलदीप एन0 अवस्थी) उप सचिव।

संख्या-2003(2) / 30-4-2009-तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सिहत संयुक्त निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, ऐसबाग, लखनऊ, को दिनाक 28 अक्टूबर, 2009 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग—4 खण्ड (क) में प्रकाशन हेतु प्रेषित। कृपया अधिसूचना की प्रकाशित 500 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग—4 उत्तर प्रदेश सिचवालय, बापू भवन, कक्ष संख्या—320 को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

Uttar Pradesh Shasan Parivahan Anubhag-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no.2003/30-4-09-8(19)/09, dated October 28, 2009 for general information.

NOTIFICATION

No.2003/30-4-09-8(19)/09

Lucknow: Dated: 28 October, 2009

In exercise of the powers under sub-section (2) and (2-A) of section 4 read with clause (a), (b) and (c) of sub-section (1) of section 10 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (Act no.21 of 1997), the Govenor is pleased to fix the rate of tax specified in column (3), of the table below in respect of motor vehicles specified in the corresponding entry in column (2) thereof:-

TABLE-1
Rate of tax on goods carriages under sub- section (2) of section (4) read with clause (a) and (b) of sub-section (1) of Section 10

Sl. No.	Description of Vehicles	Rate of tax per seat. (in rupees)
1	2	3
1.	In respect of goods carriages, plying in Uttar Pradesh, for every day. (a) light goods carriage (b) medium goods carriage (c) heavy goods carriage	50 75 100
2.	Goods carriage operating under national permit granted under sub-section (12) of section 88 of the Motor Vehicles Act, I988 by a State other than the State of Uttar Pradesh or a Union Territory, for each year or part thereof	5000
3	All multi- axled goods carriages, included in Motor Vehicles as specified in serial no. (2) and fitted with ten tyres with atleast three axles and with maximum gross vehicle weight not less than twenty five tons, for each year or part thereof.	3750

Provided that any goods carriage registered in any State or Union Territory other than Uttar Pradesh and which is not exempted from permit under sub-section (3) of Section 66 of Motor Vehicle Act 1988, if found plying without permit in Uttar Pradesh, the tax in respect of such vehicle shall be payable an amount equivalent to six times of the rate as pecitied in column (3) on motor vehicles specified in column (2) against serial no. 2 of the table.

TABLE -2
Rate of tax on public service vehicles under sub-section (2) and (2-A) of section 4 read with clause (a) and (c) of sub-section (1) of Section 10

Sl. No.	Description of Vehicle	Rate of Tax. (in rupees)
1	2	3
1.	In respect of public service vehicles, covered by temporary permit under section 87 of Motor Vehicle Act 1988 or covered by penmit under sub-section (9) of section 88 of Motor vehicle Act, 1988 issued by an authority of a reciprocating State, authorised for plying in Uttar Pradesh, for per seat per day. (a) ordinary (b) air condition ed	20 30

Provided that tourist vehicles registered in any other State of India in respect of which permits have been granted under sub-section(9) of section 88 of M.V. Act 1988 shall be exempted from the payment of tax under the Act, provided that similar reciprocal exemption is granted in respect of liability to pay tax, additional tax, special tax, by whichever name it is known, in such other State to tourist vehicles registered in the State of Uttar Pradesh and in respect of which similar permits have been granted by the State Transport Authority, Uttar Pradesh.

Provided further that permits granted *to* contract carriages other than motor cab by authorities of constituent States of National Capital Region (Rajsthan, Haryana and National Capital Territory of Delhi) other than Uttar Pradesh for plying exclusively within the limits of National Capital Region, the tax payable shall be at the rate specified in column (4), column (5) and column (6), for the distance covered as specified in column (3) on such contract carriages:-

Sl.	Contract Comicae	Distance covered per day	Ra	te of tax per s	eat
No.	Contract Carriage	in State of Uttar Pradesh	Monthly	Quarterly	Yearly
1	2	3	4	5	6
1	Ordinary/ Deluxe	(a) 0-20 Kms.	50	150	540
		(b) 21-40 Kms	70	210	755
		(c) More than 40 Kms	135	400	1440
2	Air Conditioned	(a) 0-20 Kms.	85	250	900
		(b) 21-40 Kms	100	300	1080
		(c) More than 40 Kms	170	500	1800

Also, provided that any public service vehicle registered in any State or Union Territory other than Uttar Pradesh and which is not exempted from permit under sub-section (3) of section 66 of Motor Vehicles Act, 1988, whenever found plying without permit, the tax shall be payable on such vehicle at the rate given below:-

(a) For ordinary public service vehicle, tax per seat Rs 100 (b) For air conditioned public service vehicle, tax per seat Rs 150

By order,

(PANKAJ AGRWALA)

Pramukh Sachiv

उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन अनुभाग–4

संख्या 2004/30-4-09-8 (19)/09 लखनऊ: दिनांक : 28 अक्टूबर, 2009

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन 1997) की धारा 4 की उपधारा (1—क) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्ग के मोटरयानों के सम्बन्ध में उनके सम्मुख स्तम्भ (3) और स्तम्भ (4) में प्रत्येक के सामने यथाविनिर्दिष्ट कर की दर नियत करते हैं:—

सारणी धारा 4 की उपधारा (1—क) के अधीन तिपहिया मोटर कैब एवं माल यान पर कर की दर

क्र0सं0	यान का विवरण	वार्षिक कर की दर	एक बार देय कर की
		(रूपये में)	दर (रूपये में)
1	2	3	4
1	ड्राइवर को छोड़कर 06 व्यक्तियों से अनधिक		
	व्यक्तियों के बैठने वाले तिपहिया मोटर कैब के		
	प्रत्येक सीट के लिए	600	5400
2	माल यान जिनका सकलयान भार 3000		
	किलोग्राम से अनधिक हो, पर सकलयान भार के		
	प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिए	850	7600

परन्तु यह कि क्रम संख्या 1 और क्रम संख्या 2 के सम्मुख स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मोटरयान जो पहले से पंजीकृत है, पर एक बार देय कर जमा करने के विकल्प की स्थिति में एक बार देय कर की गणना पुरानी अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए ऐसे यान पर प्रभावी एक बार देय कर की धनराशि में आठ प्रतिशत की छूट के अनुसार की जायेगी, परन्तु यह छूट पचहत्तर प्रतिशत से अधिक की नहीं होगी। इस प्रयोजन हेतु वर्ष की गणना यान के प्रारम्भिक पंजीयन की तिथि से की जायेगी तथा गणना में एक वर्ष से कम की अवधि को छोड़ दिया जायेगा।

परन्तु यह और कि उपर्युक्त सारणी में यथाविनिर्दिष्ट कोई माल यान जब—जब किराये या पारिश्रमिक पर सवारियाँ ढोते हुए पाया जाये, तो उपर्युक्त सारणी में विनिर्दिष्ट कर के अतिरिक्त 2200 रूपये प्रति सवारी की दर से भी कर देय होगा।

आज्ञा से.

संख्या-2004(1)/30-4-2009-तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— परिवहन आयुक्त, उ०प्र० / अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- प्रिसाइडिंग जज, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिव्यूनल, उ०प्र०, केसरबाग, लखनऊ।

आज्ञा से,

(कुलदीप एन0 अवस्थी) उप सचिव।

संख्या-2004(2) / 30-4-2009-तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सिहत संयुक्त निदेशक मुद्रण एव लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, ऐसबाग, लखनऊ, को दिनाक 28 अक्टूबर, 2009 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग—4 खण्ड (क) में प्रकाशन हेतु प्रेषित। कृपया अधिसूचना की प्रकाशित 500 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग—4 उत्तर प्रदेश सिचवालय, बापू भवन, कक्ष सख्या—320 को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

Uttar Pradesh Shasan Parivahan Anubhag-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no.2004/30-4-09-8(19)/09, dated October 28, 2009 for general information.

NOTIFICATION

No.2004/30-4-09-8(19)/09

Lucknow: Dated: 28 October, 2009

In exercise of the powers under sub-section (1-A) of section 4 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (Act no.21 of 1997) the Govenor is pleased to fix the rate of tax specified in column (3) and column (4) of the table below in respect of class of motor vehicles specified in the corresponding entry in column (2) thereof:-

TABLE
Rate of tax on three wheeler motor cab and goods carriages under sub-section
(1-A) of Section 4

Sl. No.	Description of Vehicles	Rate of annual Tax. (in rupees)	Rate of one time tax. (in rupees)
1	2	3	4
1.	Three wheeler motor cab with seating capacity for not more than six persons exclusive of the driver, for every seat	600	5400
2.	Goods carriages with gross vehicle weight not exceeding 3,000 kilograms, for every metric ton of the gross vehicle weight of the vehicle or part thereof.	850	7600

Provided also that in case of option for one time tax, on vehicles already registered and motor vehicles as specified in column (2) against serial no. 1 and serial no. 2 of the table one time tax shall be computed by giving exemption of eight percent in amount of prevailing one time tax for each year of earlier period on such vehicles, but this exemption shall not exceed seventy five percent of the amount. For this purpose, the period of a year shall be computed from the date of initial registration of the vehicle and the period less than ayear shall be ignored.

Provided further that any goods carriage as specified in the table above, is whenever found plying incarrying passengers on hire or reward, a tax at the rate of rupees 2200 for every passenger in addition to tax specified in the table above, shall also be payable.

By order,

(PANKAJ AGRAWALA)
Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन अनुभाग–4

संख्या—2043 / तीस—4—09—8(19) / 2009 लखनऊः दिनांक 28 जनवरी, 2010

अधिसूचना

शुद्धिपत्र

उत्तर प्रदेश शासन के परिवहन अनुभाग—4 की अधिसूचना संख्या—1998 / 30—4—2009—8 (19) / 2009, दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 द्वारा असाधारण राजपत्र के विधायी परिशिष्ट भाग—4, खण्ड 'क' में प्रकाशित हिन्दी पाठ के प्रथम प्रस्तर के उप प्रस्तर (4) को निम्नानुसार लिखा हुआ माना जाय:—

"(4) शोकाकुल व्यक्तियों सिहत मृत शरीरों को ले जाने तथा वापसी यात्रा के लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त होने वाले सार्वजनिक सेवा यानों के सम्बन्ध में प्रति सीट कर की दर सारणी के क्रम संख्या 2 के सम्मुख स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मोटरयानों पर स्तम्भ (3), स्तम्भ (4) और स्तम्भ (5) में यथाविनिर्दिष्ट रूप से लागू होगी।"

आज्ञा से,

UTTAR PRADESH SHASAN PARIVAHANANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no 2043/30-4-09-8(19)/09 dated january 28, 2010 for general information.

NOTIFICATION CORRIGENDUM

No .2043/30-4-09-8(19)/2009

Lucknow: Dated January 28, 2010

In the notification no 1998/30-4-09-8(19)/09 dated October 28 2009 of the Transport section-4, Government of Uttar Pradesh which was published in U.P. Government Gazzetter, the subpara- (4) of the para-1 be read as under:

"(4) The rate of tax per seat in respect of public service vehicles exclusively used for carrying dead bodies alongwith mourners and for return journey shall be applicable as specified in column (3), Columan (4) and column (5) for motor vehicles as specified in column (2) against serial no 2 of the table."

By order,

(PANKAJ AGRAWALA)
Principal Secretary.

उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन अनुभाग–4

संख्या—1230 / 30—4—10—20(5) / 04 टीसी लखनऊः दिनांक 01 जुलाई, 2010

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—1, सन् 1904) की धारा—21 और उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—21, सन् 1997) की धारा 10 के साथ पिठत धारा 4 की उपधारा (2) और (2—क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या—2003 / 30—4—09—8(19) / 09 दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:—

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में,

(क) सारणी-1 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रख दी जायेगी, अर्थात्:--

सारणी-एक

धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के साथ पिटत धारा 4 की उपधारा— (2) के अधीन मालयानों पर कर की दर

यान का विवरण	कर की दर (रूपये में)
1	2
मालयानों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश में	
संचालन पर प्रतिदिन के लिए-	
(क) हल्का मालयान	50
(ख) मध्यम मालयान	75
(ग) भारी मालयान	100

(ख) सारणी–1 का विद्यमान परन्तुक निकाल दिया जायेगा।

आज्ञा से,

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. 1230/30-4-10-20(05)/04TC dated 01 July, 2010 for general information.

NOTIFICATION

No: 1230/30-4-09-20(5)/04TC Lucknow : Dated: 01 July, 2010

In exercise of the powers under sub-section (2) and (2-A) of section 4 read with section 10 of the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act 1997 (UP Act no 21 of 1997), and section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act 1904 (UP Act number 1 of 1904) the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no 2003/30-4-09-08/(19)/09, dated October 28, 2009.

AMENDMENT

In the aforesaid notification,-

(a) for Table 1 the following Table shall be substituted, namely;

TABLE-1

Rate of tax on goods carriages under sub-section(2) of section 4 read with clause (a) of sub-section(1) of section 10.

Description of Vehicles	Rate of tax(in rupees)		
1	2		
In respect of goods carriages, plying in Uttar Pradesh, for every day.			
(a) light goods carriage	50		
(b) medium goods carriage	75		
(c) heavy goods carriage	100		

(b) the existing proviso to Table-1 shall be omitted

By order,

(MAJID ALI)

Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन अनुभाग-4

संख्या—2297 / 30—4—10—8(19) / 09TC लखनऊ: दिनांक 08 नवम्बर, 2010

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—1, सन् 1904) की धारा—21 के साथ पिठत उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—21, सन् 1997) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन शिक्त का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या—1996/30—4—09—8(19)/09, दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में सारणी में-

- (क) क्रम संख्या—1 एवं 2 में स्तम्भ 3 में अंक और शब्द ''यान के मूल्य का 5%''के स्थान पर अंक और शब्द ''यान के मूल्य का ''7%'' रख दिये जायेंगे;
- (ख) क्रम संख्या—3 में स्तम्भ 3 में अंक और शब्द ''यान के मूल्य का 6%'' के स्थान पर अंक और शब्द ''यान के मूल्य का 7%'' रख दिये जायेंगे;

आज्ञा से,

Uttar Pradesh Shasan

Parivahan Anubhag-4

١.

In pursuance, of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no 2297/30-04-10-8(19)/09TC, dated November 08,2010

NOTIFICATION

No. 2297/30-04-10-8(19)/09TC Lucknow: Dated: November 08, 2010

In exercise of the power under sub-section (1) of section 4 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act,1997 (U.P Act no, 21 of 1997) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no. 1996/30-4-09-8(19)/09 dated October 28, 2009:-

Amendment

In the aforesaid notification, in the table :-

- (a) in serial nos. 1 and 2, in column 3 for the figure and words "5% of the cost of Vehicle" the figure and words "7% of the-cost of vehicle" shall be substituted;
- (b) In serial no 3, in column 3 for the figure and words "6% of the cost of vehicle" the figure and words "7% of the cost of vehicle" shall be substituted;

By order,

(MAJID ALI) Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन अनुभाग-4

संख्या—2298 / 30—4—10—8(19) / 09TC लखनऊः दिनांक 08 नवम्बर, 2010

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—1, सन् 1904) की धारा—21 के साथ पिठत उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—21, सन् 1997) की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन शिक्त का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या—1997/30—4—09—8(19)/09, दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में-

- (1) सारणी में क्रम संख्या–1 में
 - (क) स्तम्भ-3 में अंक ''550'' के स्थान पर अंक ''660'' रख दिये जायेंगे;
 - (ख) स्तम्भ-4 में दिये गये अंक ''2000'' के स्थान पर अंक ''2350'' रख दिये जायेंगे।
- (2) विद्यमान तीसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात:--

परन्तु यह भी कि सारणी में विनिर्दिष्ट कोई मोटरयान, जिसे मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 66 की उप धारा (3) के अधीन परिमट से छूट प्रदान नहीं की गयी है, यदि बिना परिमट चलता हुआ पाया गया, तो ऐसे यान हेतु सारणी के स्तम्भ–3 में यथा विनिर्दिष्ट दर के पाँच गुना कर के बराबर राशि देय होगी।

आज्ञा से

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. 2298/30-04-10-8(19)/09TC, dated November 08, 2010

NOTIFICATION

No. 2298/30-04-10-8(19)/09TC Lucknow : Dated: November 08, 2010

In exercise of the powers under sub-section (2) of section 4 of the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act 1997 (UP Act no 21 of 1997) read road with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act 1904 (UP Act number 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no 1997/30-4-09-8(19)/09, dated October 28, 2009 namely :-

Amendment

In the aforesaid notification, in the table :-

- (1) In the table, in serial number 1, -
- (a) in column 3 for the figures "550" the figures "660" shall be substituted;
- (b) in column-4 for the fugures "2000" the figures "2350" shall be substituted;
- (2) After the existing third proviso the following proviso shall be inserted namely:-

Provided also that any motor vehicle specified in the table, which is not exempted form permit under sub-section (3) of Section 66 of Motor Vehicles Act 1988. If found plying without permit, the tax payable in respect of such vehicle shall be an amount equivalent to five times of the the rate as specified in column 3 for such motor vehicle.

By Order,

(MAJID ALI) Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन अनुभाग–4

संख्या—2299/30—4—10—8(19)/09 TC लखनऊ: दिनांक 08 नवम्बर, 2010

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—1, सन् 1904) की धारा—21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—21, सन् 1997) की धारा 4 की उपधारा (2—क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या—1998/30—4—09—8(19)/09, दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में सारणी में क्रम संख्या (4) के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

"(5) सारणी में विनिर्दिष्ट कोई मोटरयान, जिसे मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 66 की उपधारा (3) के अधीन परिमट से छूट नहीं प्रदान की गयी है, यदि बिना परिमट चलता हुआ पाया गया, तो ऐसे यान हेतु सारणी के स्तम्भ—3 में यथा विनिर्दिष्ट दर के पाँच गुनी राशि के बराबर कर देय होगा।"

आज्ञा से,

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. 2299/30-4-10-8(19)/09TC, dated November 08, 2010

NOTIFICATION

No: 2299/30-4-10-8(19)/09TC Lucknow : Dated: November 08, 2010

In exercise of the powers under sub-section (2-A) of section 4 of the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act 1997 (UP Act no 21 of 1997) read road with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (UP Act number 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no 1998/30-4-09-8(19)/09, dated October 28, 2009 namely:-

<u>Amendment</u>

In the aforesaid notification, in the table, after serial no (4) the following serial shall be inserted namely:-

"(5) Any motor vehicle specified in the table, which is not exepmpted form permit under subsection (3) of Section 66 of the Motor Vehicles Act, 1988, if found plying without permit, the tax payable in respect of such vehicle shall be an amount equivalent to five times of the the rate as specified in column 3 form such motor vehicle"

By Order,

(MAJID ALI) Pramukh Sachiv

उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन अनुभाग–4

संख्या 961/30-4-2012-8(19)09 टी0सी0

लखनकः दिनांक : 19 अक्टूबर, 2012

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पिठत उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 1997) की धारा—4 उपधारा (2—क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल अधिसूचना संख्या 2299/30—04—10—08(19)/09 टी०सी० दिनांक 08 नवम्बर 2010 द्वारा यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या 1998/30—04—10—08(19)/09, दिनांक 28 अक्टूबर 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते है:—

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में,

(क) विद्यमान सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रख दी जायेगी, अर्थात्:-

<u>सारणी</u> धारा 4 की उपधारा (2–क) के अधीन सार्वजनिक सेवायानों पर कर की दर

क्र0		प्रति सीट कर की दर (रूपये में)		
सं0	यानों का विवरण			
		मासिक	त्रेमासिक	वार्षिक
1	2	3	4	5
1	मैक्सी कैब से भिन्न ओमनी बस,			
	(क) जिनकी आयु पॉच वर्ष से अनधिक हो	127	380	1380
	(ख) जिनकी आयु पाँच वर्ष से अधिक किन्तु दस	132	397	1438
	वर्ष से अनधिक हो			
	(ग) जिनकी आयु दस वर्ष से अधिक हो	138	414	1495
2	मैक्सी कैब से भिन्न ओमिनी बस, जो नगर निगम	23	58	230
	या नगर पालिका की सीमा के भीतर अनन्य रूप से			
	संचालित हों			
3	मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन भारत के	170	500	1800
	किसी अन्य राज्य में या किसी अन्य देश में			
	तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसी			
	मंजिली गाडियों को, जिसके साथ सड़क परिवहन			
	के मामले में पारस्परिक व्यवस्थायें की गयी हों और			
	जो अपने परमिटों के प्रति हस्ताक्षर के अधीन उत्तर			
	प्रदेश में चलाने के लिए प्राधिकृत हो, के सम्बन्ध में			
	प्रत्येक सीट के लिए।			

4	मोटरयान, जो एक ऐसे मार्ग पर चलते हैं, जिसके	98	293	1035
	उत्तर प्रदेश राज्य से भिन्न भारत के राज्य में			
	उसके प्रारम्भिक बिन्दु और अन्तिम बिन्दु दोनों			
	स्थित हों, किन्तु ऐसे मार्ग का कुछ भाग उत्तर			
	प्रदेश राज्य में पडता हो और ऐसे भाग की लम्बाई			
	16 किलोमीटर से अधिक नहीं हो, के प्रत्येक सीट			
	के लिए।			

(ख) परन्तुक में, खण्ड (3) में शब्द''पच्चीस प्रतिशत'' के स्थान पर शब्द ''पचास प्रतिशत'' रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

(बी0एस0भुल्लर) प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of india, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. 961/XXX-4-2012-8(19)/2009TC, dated 19.10.2012

NOTIFICATION

No: 961/XXX-4-2012-8(19)/2009TC Lucknow: Dated: 19.10.2012

In exercise of the powers under sub-section (2-A) of section 4 of the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997 (UP Act no 21 of 1997) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no 1998/XXX-4-09/8(19)/09, dated October 28, 2009 (as ameded by notification no. 2299/xxx-04-10-08(19)/09TC, dated November 08,2010):-

Amendment

In the aforesaid notification;

(a) for the existing table, the following table shall be substituted, namely :-

TABLE
Rate of tax on public service vehicles under sub-section (2-A) of Section 4

Sl. No	Description of Vehicles	Rate of tax per seat. (in rupees)		
		Monthly	Quarterly	Yearly
1	2	3	4	5
1	Omni bus other than maxi cab			
	(a) age not more than five years old.	127	380	1380
	(a) age not more than five years old.(b) age more than five years but not more than ten years old.	132	397	1438
	(c) age more than ten years old.	138	414	1495
2	Omni bus other than maxi cab, operating exclusively within the limits of municipal corporation or municipality-	23	58	230
3	Stage carriages registered under the Motor Vehicles Act, 1988 in any other State of India or under a law in force for the time being in any other country, with which reciprocal arrangements in the matter of road transport have been made and which are authorised to ply in Uttar Pradesh under counter signature of their pennits, for every seat.	170	500	1800
4	Motor vehicles which ply on a route, which have both its starting point and the terminal point in a State of India other than the State of Uttar Pradesh, but part of which route lies in the State of Ultar Pradesh and the length of Such part does not exceed sixteen kilometers, for every seat.	98	293	1035

(b) in the proviso, in clause (3) for the words "twenty five percent", the words "fifty percent" shall be substituted.

By Order,

(B.S. Bhullar)

Pramukh Sachiv

उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन अनुभाग–4 संख्या 962/30–4–2012–8(19)/09 टी0सी0

लखनऊः दिनाकः 19 अक्टूबर, 2012

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पिठत उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या 21, सन् 1997) की धारा—4 उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, अधिसूचना संख्या—2298/30—04—10—8(19)/09टीसी दिनांक 08 नवम्बर, 2010 द्वारा यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या—1997/30—04—09—8(19)/09, दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते है:—

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में,

(क) सारणी में,

(एक)— क्रम संख्या 2 में, स्तम्भ 3 में अंक ''50'' के स्थान पर अंक ''58'' रख दिये जायेंगे और स्तम्भ 4 मे अंक ''200'' के स्थान पर अंक ''230'' रख दिये जायेंगे।

(दो)— क्रम संख्या 3 में, स्तम्भ 3 में अंक ''230'' के स्थान पर अंक ''242'' रख दिये जायेंगे और स्तम्भ 4 मे अंक ''850'' के स्थान पर अंक ''893'' रख दिये जायेंगे।

(तीन)— क्रम संख्या ४ में, स्तम्भ ३ में अंक ''500'' के स्थान पर अंक ''525'' रख दिये जायेंगे और स्तम्भ ४ में अंक ''1800'' के स्थान पर अंक ''1890'' रख दिये जायेंगे।

(चार)— क्रम संख्या 5 में, स्तम्भ 3 में अंक ''500'' के स्थान पर अंक ''525'' रख दिये जायेंगे और स्तम्भ 4 मे अंक ''1800'' के स्थान पर अंक ''1890'' रख दिये जायेंगे।

(पॉच)— क्रम संख्या 6 में, स्तम्भ 3 में अंक ''130'' के स्थान पर अंक ''137'' रख दिये जायेंगे और स्तम्भ 4 मे अंक ''500'' के स्थान पर अंक ''525'' रख दिये जायेंगे।

- (छः)— क्रम संख्या ७ में, स्तम्भ ३ में अंक ''500'' के स्थान पर अंक ''525'' रख दिये जायेंगे और स्तम्भ ४ मे अंक ''1800'' के स्थान पर अंक ''1890'' रख दिये जायेंगे।
- (ख) द्वितीय परन्तुक में, शब्द ''पच्चीस प्रतिशत'' के स्थान पर शब्द ''पचास प्रतिशत'' रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

(बी०एस० भुल्लर) प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of india, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. 962/XXX-4-2012-8(19)/2009TC, dated 19.10.2012

NOTIFICATION

No: 962/XXX-4-2012-8(19)/2009TC Lucknow: Dated: 19.10.2012

In exercise of the powers under sub-section (2) of section 4 of the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997 (UP Act no 21 of 1997), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no 1997/XXX-4-09/8(19)/09, dated October 28, 2009 as ameded by notification no. 2298/xxx-04-10-08(19)/09TC, dated November 08,2010:-

Amendment

In the aforesaid notification;

- (a)- in the table,
- (i) in serial no. 2, in column 3 for the figures "50" the figures "58" shall be substituted and in column 4 for the figures "200" the figures "230" shall be substituted.
- (ii) in serial no. 3, in column 3 for the figures "230" the figures "242" shall be substituted and in coulumn 4 for the figures "850", the figures "893" shall be substituted.
- (iii) in serial no. 4, in column 3 for the figures "500", the figures "525" shall be substituted and in coulumn 4 for the figures "1800" the figures "1890" shall be substituted.
- (iv) in serial no. 5, in column 3 for the figures "500" respectively, the figures "525" shall be substituted and in coulumn 4 for the figures "1800" the figures "1890" shall be substituted.
- (v) in serial no. 6, in column 3 for the figures "130" the figures "137" shall be substituted and in coulumn 4 for the figures "500", the figures "525" shall be substituted.
- (vi) in serial no. 7, in column 3 for the figures "500" the figures "525" shall be substituted and in coulumn 4 for the figures "1800", the figures "1890" shall be substituted.
- (b)- in the second proviso, for the words "twenty five percent" the words "fifty percent" shall be substituted.

By Order,

(B.S. Bhullar)

Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन अनुभाग-4

संख्या 963 / 30–4–2012–8(19) / 09 टी०सी० लखनऊः दिनॉकः 19 अक्टूबर, 2012

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पिठत उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या 21, सन् 1997), की धारा—4 उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, अधिसूचना संख्या—2297/30—04—10—8(19)/09टीसी, दिनांक 08 नवम्बर, 2010 द्वारा यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या—1996/30—04—09—8(19)/09, दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते है:—

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्निलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात् :--

" परन्तु यह कि उपरोक्त सारणी के स्तम्भ—2 में उल्लिखित मोटर यानों में से किसी के वातानुकूलित होने पर एक बार देय कर की दर यान के मूल्य का 8 प्रतिशत होगी और विद्युत बैटरी अथवा सोलर पावर द्वारा चिलत मोटरयानों पर कर से छूट होगी तथा एथनाल मिश्रित ईधन द्वारा चिलत मोटरयानों पर कर में छूट मिश्रण में एथनाल के प्रतिशत की सीमा तक होगी।"

आज्ञा से,

(बी०एस० भुल्लर) प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of india, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. 963/XXX-4-2012-8(19)/2009TC, dated 19.10.2012

NOTIFICATION

No: 963/XXX-4-2012-8(19)/2009TC Lucknow: Dated: 19.10.2012

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 4 of the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997 (UP Act no 21 of 1997), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no 1996/XXX-4-09/8(19)/09, dated October 28, 2009 (as ameded by notification no. 2297/xxx-04-10-8(19)/09TC, dated November 08,2010):-

Amendment

In the aforesaid notification, for the first proviso the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that in case any of the motor vehicles mentioned in column -2 of the above table is air conditioned, the rate of one time tax shall be 8% of the cost of the vehicle and the motor vehicle driven by electric battery or solar power shall be exempted from the payment of tax and the motor vehicle driven by Ethanol mixed fuel shall be exempted to the extent of percentage of Ethanol in the mixture."

By Order,

(B.S. Bhullar)
Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन अनुभाग—4 संख्या— 964/30—4—2012—8(19)/09 टी0सी0

लखनऊः दिनॉकः 19.10.2012

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या 21, सन् 1997), की धारा—6 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, अधिसूचना संख्या—2001/30—04—09—8(19)/09, दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते है:—

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, परन्तुक में शब्द ''पच्चीस प्रतिशत'' के स्थान पर शब्द ''पचास प्रतिशत'' रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

(बी०एस० भुल्लर) प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of india, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. 964/XXX-4-2012-8(19)/2009TC, dated 19.10.2012

NOTIFICATION

No: 964/XXX-4-2012-8(19)/2009TC Lucknow: Dated: 19.10.2012

In exercise of powers under sub-section (1) of section 6 of the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997 (UP Act no 21 of 1997), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no 2001/XXX-4-09/8(19)/09, dated October 28, 2009:

Amendment

In the aforesaid notification, in the proviso for the words "twenty five percent", the words "fifty percent" shall be substituted."

By Order,

(B.S. Bhullar)
Pramukh Sachiv.